(96)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 295-दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.10.2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 276/07-08/अपील.

जगदीश पिता गणपत भीलाला
निवासीग्राम दसनावल तहसील सेगांव
जिला खरगौन, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

नीलूबाई पिता गणपति पति मोहन भीलाला
निवासी ऊन खुर्द तहसील व जिला खरगौन .....अनावेदक

श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २८/१०/१४ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 30.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, सेगांव के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बिरला तहसील सेगांव में अनावेदिका के नाम पर खाता नम्बर 306 खसरा नम्बर 623 रकबा 0.668 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 658/4 रकबा 0.736 हैक्टेयर अंकित होकर उक्त भूमि को अनावेदिका द्वारा माता मलूबाई के जीवनकाल तक खाने के लिए व जीवन यापन के लिए दी थी, परंतु उसकी माता की मृत्यु हो जाने से आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। अतः प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अ-70/03-

04 दर्ज कर दिनांक 07.03.2007 को आवेदन स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य अनावेदिका को दिये जाने का आदेश प्रदान किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, खरगौन के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2008 से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.10.2013 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि अनावेदिका के स्वत्व की भूमि पर आवेदक द्वारा किस दिनांक को अनाधिकृत कब्जा किया गया है, इसका कोई उल्लेख अनावेदिका द्वारा अपने आवेदन पत्र में नहीं किया है है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन संहिता की धारा 250 के अंतर्गत उक्त आवेदन चलने योग्य नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदिका का उक्त आवेदन अवधि बाधित है। यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर भी विचार नहीं किया कि अनावेदिका द्वारा अपनी माता मनूबाई को जीवन-यापन हेतु कब भूमि दी गई थी, इसका भी कोई साक्ष्य में प्रमाण नहीं है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अपने पिता द्वारा आपसी बंटवारे से 25 वर्षों से कब्जा होकर उसके द्वारा अनाधिकृत कब्जा नहीं किया है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर भी विचार नहीं किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा (2) के अनुसार आदिवासी को हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि में गणपत की पुत्री के नाते अनावेदक को कोई भी स्वत्व व हक्क नहीं है, ऐसा होते हुए भी अपील निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि दिनांक 08.12.2001 को अनावेदिका द्वारा आपसी समझौते के आधार पर पिता की चल एवं अचल संपत्ति में तीनों भाईयों का हक्क नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में मध्यस्थ एवं सलाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदक के हक्क समाप्त हो गये हैं तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत विबंधन की बाधा आती है। उसका विचार न करते हुए आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि अनावेदक ने अपना आवेदन सीमांकन के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपर आयुक्त द्वारा सीमांकन का निष्कर्ष आदेश 6 नियम 2

सी.पी.सी. के विपरीत होकर उक्त निष्कर्ष परवर्स है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि जीवन-यापन के लिए दी गई। इसका कोई लेखिक प्रमाण न होते हुए भी अपील निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश अवैधानिक, अनियमित एवं क्षेत्राधिकार से परे है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए साक्षियों के कथन अंकित कर, साक्ष्य के आधार पर विवेचना करते हुए दिनांक 7-3-07 को विधिवत आदेश पारित कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदिका प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी है और आवेदक अपना स्वत्व प्रमाणित नहीं कर सका है । अत: तहसीलदार द्वारा अनावेदिका के स्वामित्व की भूमि से आवेदक को बेदखल करने के आदेश देने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । तहसीलदार के आदेश को विधिसंगत मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी अपील में दिनांक 22-2-2008 को आदेश पारित कर स्थिर रखा गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31-10-2013 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश यथावत रखे गये हैं । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त निष्कर्ष एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर